न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 18 / 2023(जी.सी.एम.एस.2023 / 443)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रमेश चन्द उर्फ रमेश कुमार पुत्र भगतूराम उर्फ भगतराम जाति कम्बोज निवासी 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदिता कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—11.12.2023

उपस्थितः1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

——निर्णय——

दिनांक : 24.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2076 के खाता संख्या 90/81 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 3.124 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2076 के खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 1.517 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 3.124 हैक्टेयर भूमि में आने-जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि को काश्त करने के लिए मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी मेड के साथ-साथ चल रही पक्की सडक पर चलकर अनावेदक की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 की दक्षिणी मेड के साथ-साथ चलकर पूर्व की ओर स्थित अपनी कृषि भूमि के किला नम्बर 23 में प्रवेश अपनी जमीन में पंहुचता है। यही एकमात्र रास्ता प्रार्थी के पास उपलब्ध है। अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आज से 15 दिन पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि वे मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 में चल रहे रास्ता को मंजूर करवा देवे। अप्रार्थी ने रास्ता मंजूर करवाने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थनापत्र के अनुसार यह कहना गलत है कि प्रार्थी की भूमि में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध ना हो। प्रार्थी अप्रार्थी की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 की दक्षिणी मेढ के साथ-साथ 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवा पाने के अधिकारी हो।
3. उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/78 दिनांक 15.02.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरसिंहपुरा मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरसिंहपुरा व पटवारी हल्का 58 एफ के द्वारा चक 57 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 23 की भूमि तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि में से रास्ते की मांग की गई है।

हमने विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता, की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं प्र.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2076 के खाता संख्या 90/81 के मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 3.124 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 में दक्षिणी बट के साथ-साथ दो-दो बिस्वा भूमि से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 23 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ दो-दो भूमि में से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थी को रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 प्रत्येक की दक्षिणी बट की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 की कुल 0.050 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी 61 एफ को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/945 **दिनांक :- 24.12.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 18/2023 अनवान रमेश चन्द उर्फ रमेश कुमार बनाम राजेन्द्र कुमार आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 24.12.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित प्रार्थना पत्र धारा 251ए आरटीए निर्णय दिनांक 24.12.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 57 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 प्रत्येक की दक्षिणी बट की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21, 22 की कुल 0.050 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी 61 एफ को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)